फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

कानाराम वगै0 बनाम बत्तीलाल वगै0

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र स्थगन नम्बर ––––03––––सन्– 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.01.2026	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रा0पत्र दिनांक 15.1.26 को पेश हो। जिला कलक्टर दौसा	
15.1.2026	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की दिनांक 6.1.2026 को सुनी गई बहस पर मनन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक स्थगन प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बडागांव की आबादी भूमि ग्राम ठीकरिया में राज्य सरकार की योजनान्तर्गत चरागाह से भूमि कम करते हुए आबादी का विस्तार किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत को समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों व निगरानीकर्तागण व अन्य लोगों को पट्टे जारी करने का निर्देश दिया गया था। ग्राम पंचायत ने राज्य सरकार द्वारा जो नीति बतलाई गई उस नीति के विरूद्ध जाते हुए अवैधानिक रूप से पूर्वी भुजा 70 फीट, पश्यिमी भुजा 70 फीट, उत्तरी भुजा 52 फीट व दक्षिणी भुजा 52 फट कुल क्षेत्रफल 404.44 वर्गगज जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में रास्ता 25 फीट, पश्चिम में खातेदारी भूमि, उत्तर में रास्ता 30 फीट, दक्षिण में रास्ता 30 फीट होना बतलाया है, का पट्टा अप्रार्थी **बत्तीलाल** के हक में जारी कर दिया जो कि विधि विरूद्ध है। राज0 पंचायती राज नियम 141 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा केवल नीलामी से ही भूमि विक्रय की जा सकती है। ग्राम पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि बिना किसी प्रकार की नीलामी के अप्रार्थी बत्तीलाल सैनी को लगभग 404.44 वर्गगज महत्वपूर्ण भूमि को सीधे ही पट्टा जारी कर आवंटित कर देवे। इसके अलावा यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि भूमि को विक्रय करने के लिए राज0 पंचायती राज नियमों के अंतर्गत नियम 141 से 156 तक के प्रावधानों की पालना करना एक आदेशात्मक प्रावधान है जिसमें ऑप्शन होना व मौका निरीक्षण करना आदि महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्राम पंचायत बडागांव ने अप्रार्थी सं0 1 के हक में कथित पट्टा जारी करते समय इन महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है व अनदेखा किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में एक बहुत बडा हिस्सा लगभग 4 बीघा का चरागाह से कम करके समाज के गरीब तबके को भूमि पर बसाने के लिए भूमि ग्राम पंचायत को दी गई थी लेकिन आश्चर्य है कि ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एक ही परिवार के लगभग 8 व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिये व संकल्प सं0 1 पारित कर दिया। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि [illegible] सैनी पुत्र रघुवीर सैनी की अनीता पत्नि भोलूराम व भोलूराम [illegible] अलावा बत्तीलाल पुत्र पत्नि ममता, मीठालाल सैनी पुत्र रघुवीर सै[illegible] सैनी पुत्र रघुवीर सैनी, रघुवीर सैनी, रामेश्वर सैनी पुत्र रघुवीर सैनी, [illegible] सैनी एक ही नारायणलाल पुत्र रघुवीर सैनी, गीता देवी [illegible] है। यह ज्ञातव्य है कि परिवारजन को काफी सारी भूमि पट्टे पर दी गई है [illegible] अप्रार्थी सं0 1 के नाम से भी अवैधानिक पट्टा [illegible]री किया गया है। जबकि मीठालाल व ममता आपस में पति पत्नि है, जहॉं तक अन्य लोगों का संबंध है तो उसमें इसी प्रकार के पति पत्नि व आपस में कई भाई शामिल है इस प्रकार खुल्लमखुल्ला एक ही परिवार को लाभांवित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये है। राज0 पंचायती राज नियम जो बने है उनमें	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.02.20 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

बातचीत के द्वारा नियम 156 की भी पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है एवं विक्रय की गई राशि का भी सही आकलन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। नियम 154 के अंतर्गत जो भूमि के पट्टे जारी किये गये है उनकी अनुमति भी नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति मे ग्राम पंचायत ने जो पट्टे जारी किये गये है व जो विक्रय किये गये है व संकल्प सं0 1 पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है। खसरा नंबर 171 में से खसरा नंबर 171/1 व 171/2 की तरमीम का एक विवाद न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान के यहॉ लंबित चल रहा है क्योंकि खसरा नंबर 171 में से जो भूमि चरागाह में से कम करके आबादी के लिए दी गई थी उसकी गलत तरमीम हो गई थी। निगरानाधीन आदेश की पालना को निगरानी के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रखा जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने का मतलब ही समाप्त हो जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित कर दिये जाने से प्रार्थी के अधिकारों का अपूरणीय क्षति की सूरत पैदा हो गई ह। ग्राम पंचायत बडागांव द्वारा पारित पट्टे की आड में अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन, बय करने व उसमें निर्माण करने पर आमादा है, इसलिए इनको रोका जाना व निर्णय की पालना को स्थगित रखा जाना न्यायार्थ आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस स्पष्ट प्रमाणित है, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए कानूनन व न्याय हित में निगरानी के निर्णय तक निगरानी में वर्णित पटटे की क्रियान्विति को स्थगित फरमाया जाना आवश्यक है। अतः स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वो उपरोक्त भूमि से उक्त पटटे की आड में उक्त भूमि को रहन बय हस्तान्तरण करने व निर्माण कार्य करने से निगरानी के अंतिम निस्तारण तक प्रतिबंधित रहे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गैर निगरानीकार सं0 1 को जारी पट्टा जो कि ग्राम पंचायत बडागांव द्वारा दिनांक 23.12.2001 को जारी किया है जो कि उप पंजीयक नांगल राजावतान के द्वारा दिनांक 10.9.2018 को पंजीयन किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति निगरानीकारान के विपक्ष में तय की जाती है। निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र मूल निगरानी पत्रावली मे शामिल रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.02.20 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested